छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी—मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 (फाल्गुन 29,1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024—2025 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023—2024 पटल पर रखेंगे।

(3) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023—2024 पटल पर रखेंगी।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, लोक जैव विविधता पंजी तैयार नहीं करने तथा वेटलैंड स्थलों पर अपेक्षित कार्य नहीं होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य, बस्तर एवं सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में नियम विरूद्ध वन भूमि को आवंटित किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य, ग्राम पंडरीपानी से चंदलीडीह के मध्य पुलिया सहित सड़क निर्माण करने,

(2) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई अंतर्गत –

(i) ग्राम खाम्ही में आंगनबाड़ी भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम समुंदपानी की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम जंगलपुर धार से चोरड़ाधाम पहुंच मार्ग का डामरीकरण करने,

(3) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, धर्मजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सोखामुड़ा के प्री–मैट्रिक बालक छात्रावास हेतु भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम बांसाझार से खर्रा पहुंच मार्ग का डामरीकरण करने,

(iii) ग्राम छाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(4) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सराईपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम तिलाईमाल से जामपाली तक पुलिया सहित सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम चरूडीपा से मुख्य मार्ग तक पुलिया सहित सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम जोगनीपाली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iv) सराईपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बिस्तर को 100 बिस्तर में उन्नयन करने,

(v) ग्राम सागरपाली की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(vi) ग्राम केंदूढार के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(5) सुश्री लता उसेण्डी, सदस्य, जिला कोण्डागांव अंतर्गत ग्राम कुरूलूमारी एवं कडसारी मारी में विद्युतीकरण करने,

(6) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा अंतर्गत–

(i) बलौदाबाजार मुख्यालय में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने तथा

(ii) नगर पंचायत कसडोल में कृषि महाविद्यालय खोलने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक,2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय सायं 5 बजे तक (3) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (4) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (5) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (6) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (7) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 4

निर्धारित समय

15 मिनट (8) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 19 मार्च, 2025